

प्रारंभ:-

सहायक शिक्षा निदेशक/शैक्षिक
सहारनपुर मंडल,सहारनपुर ।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक,

शिल्पर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल,

शमली,मुजफ्फरनगर ।

पत्रांक:- मान्यता/ 233-240 /2000-2001 दिनांक:- 31-10-2000

विषय:- अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय क्या 6 से 8 तक अत्यायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासनादेश संख्या 646/15-6-97-18 एतद्वारा 7/89 दिनांक 13.8.97 में दिये गये आधिकारों के अन्तर्गत मंडलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 31-10-2000 में लिये गये निषेधानुसार आपके विद्यालय की क्या 6 से 8 तक की अत्यायी मान्यता शैक्षिक सत्र 2000-2001 से प्रदान की जाती है। प्रत्येक क्या हेतु एक वरी की अनुमति का प्रदान की जाती है ।

शासनादेश में विहित मानकों अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद अनुमन्त्र होंगे ।

- प्रधानाध्यापक - एक
- सहायक अध्यापक - चार
- लिपिक - एक
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/डाब्लू अध्यापक जाने जायेंगे। शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण एक अधिकारी उओप्रत, शैक्षिक शिक्षा परिषद को होगा ।

भवदीय

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक/शैक्षिक
सहारनपुर मंडल,सहारनपुर ।

पृष्ठांक संख्या :- मान्यता/ /2000-2001 उशीं तिथि को

प्रातिनिधि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- उपर शिक्षा निदेशक/शैक्षिक उओप्रत, शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद ।
- 2- सचिव,उओप्रत, शैक्षिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद ।
- 3- जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी, - मुजफ्फरनगर - - - -
- 4- त्रिभाषा अधिकारी, काशी जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी - मुजफ्फरनगर - - - -
- 5- जिला सहायक अध्यापक अधिकारी - मुजफ्फरनगर - - - -
- 6- उप शैक्षिक शिक्षा अधिकारी - मुजफ्फरनगर - - - -
- 7- सहायक शैक्षिक शिक्षा अधिकारी/शिक्षा जे - - - - -
- 8- नगर शिक्षा अधिकारी नगर जे - मान्यता - - - - -

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक/शैक्षिक
सहारनपुर मंडल,सहारनपुर ।



Secretary
Citizens' Welfare Society
Shamli